एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 4922/2006

याचिकाकर्ता:

वेदराम भास्कर, आत्मज श्री भुवनलाल भास्कर, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी वर्तमान में वन परिसर, दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा

बनाम

उत्तरवादी:

1). छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, वन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2). प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर (छ.ग.)

3). मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन/राजपत्रित, रायपुर (छ.ग.)

4). प्रभागीय वन अधिकारी, दंतेवाड़ा वन प्रभाग, **जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)**

5). एम.एल. यादव, परिक्षेत्र वन अधिकारी, बीजापुर परिक्षेत्र, बीजापुर वन प्रभाग, **जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 4921/2006

याचिकाकर्ता: वेदराम भास्कर

बनाम–

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री काशिफ शकील, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र. 1 से 4 की ओर से श्री सतीश गुप्ता, उप शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र. 5 की ओर से कोई नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(8 सितंबर, 2006)

न्यायालय का यह आदेश न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया है।

1. याचिकाकर्ता (वेदराम भास्कर) ने यह याचिका आदेश दिनांक 4.8.2006 (अनुलग्नक पी/5) को चुनौती देते हुए दायर की है, जिसके द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनांक 24.6.2006 को रिट याचिका क्र. 3202/2006 (मुन्नी लाल यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 5.7.2006 के अनुपालन में रद्द कर दिया गया है।

2. श्री मुन्नी लाल यादव ने रिट याचिका क्र. 3202/2006 दायर कर आदेश दिनांक 24.6.2006 को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा श्री मुन्नी लाल यादव को कास्टागार अधिकारी, बीजापुर के पद पर स्थानांतरित किया गया था और याचिकाकर्ता के स्थान

पर, अर्थात वन परिक्षेत्र कार्यालय बीजापुर के परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर, वर्तमान याचिकाकर्ता (वेदराम भास्कर) को, जिन्हें उत्तरवादी क्र. 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया था, स्थानांतरित किया गया था। उक्त याचिका में याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि उसे ऐसी जगह पर पदस्थ किया गया था जहाँ ऐसा कोई विद्यमान पद नहीं था।

3. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद निम्नलिखित आदेश पारित किया:–

> "याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पत्र दिनांक 27.6.2006 (अनुलग्नक पी–12) के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, रायपुर ने अवर सचिव, वन विभाग को पहले ही सूचित कर दिया है कि डिपो अधिकारी का ऐसा कोई पद नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता की पदस्थापना में संशोधन किया जा सकता है।"
>
> "चूंकि मुख्य वन संरक्षक, रायपुर ने स्वयं अवर सचिव को पत्र लिखकर यह बताया है कि जिस पद पर याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया है, वहां ऐसा कोई पद नहीं है और यह अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश में संशोधन किया जाए, इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार की जाती है और अवर सचिव, वन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्य वन संरक्षक, रायपुर द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 27.6.2006 के अनुसरण में उचित आदेश पारित करें।"
>
> "उपरोक्त निर्देश के साथ, याचिका निराकृत की जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उपरोक्त के आलोक में, इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र. 3202/2006 में पारित आदेश दिनांक 5.7.2006 के अनुसरण में आदेश दिनांक 24.6.2006 को रद्द कर दिया

गया है। वर्तमान आक्षेपित आदेश दिनांक 4.8.2006 को प्रश्नाधीन नहीं किया जा सकता, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र. 5 को उनके संबंधित स्थानों पर समायोजित और पदस्थ किया गया है।

5. याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि प्रशासनिक आवश्यकता में पारित स्थानांतरण आदेश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके बाद प्रशासनिक आवश्यकता पूर्व की आवश्यकता से भिन्न नहीं हो सकती। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सेवा) क्र. 4274/2006 (**हरीश पांडे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 14.8.2006 का अवलंब लिया।

6. हरीश पांडे (पूर्वोक्त) के मामले में, तथ्य पूरी तरह से भिन्न थे, जहाँ पश्चात्वर्ती आदेश दिनांक 8.8.2006 स्थानीय विधानसभा सदस्य के अनुरोध पर पारित किया गया था, जिसे लोकहित में या प्रशासनिक आवश्यकता में नहीं माना गया था क्योंकि वह विधायक के कहने पर किया गया था। प्रशासनिक आवश्यकता किसी विशेष पदस्थापना के लिए नहीं होती है, अपितु यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जिनका मूल्यांकन और विचार सरकार द्वारा लोकहित में किया जाना होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. वर्तमान आक्षेपित आदेश में अनिवार्य रूप से प्रशासनिक आवश्यकता अंतर्वलित है क्योंकि पिछले आदेश दिनांक 24.6.2006 ने पदों की उपलब्धता देखे बिना एक ही स्थान पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति करके भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। पिछले आदेश द्वारा उत्पन्न भ्रम और जटिलता को स्पष्ट करने वाले वर्तमान आक्षेपित आदेश को लोकहित में या प्रशासनिक आवश्यकता में नहीं माना जायेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

8. यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि स्थानांतरण सेवा की एक घटना है और यह नियोक्ता को तय करना है कि किसी विशेष अधिकारी/कर्मचारी को प्रशासन और जनहित में कहाँ पदस्थ किया जाना है।

9. उपरोक्त कारणों से, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur